न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2024/209

सिविल प्रकरण संख्याः– 93/2024 तारीख रजू 07.11.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. विष्णु साहू पुत्र श्री विमल चन्द साहू (विक्रेता) मैसर्स श्रीराम होटल, मण्डी रोड आलनपुर, सवाई माधोपुर 322001 निवासी मनिहारी मोहल्ला शहर सवाई माधोपुर
2. विमल चन्द साहू पुत्र श्री मोती लाल साहू (प्रोपराईटर) मैसर्स श्रीराम होटल, मण्डी रोड, आलनपुर, सवाई माधोपुर 322001 निवासी मनिहारी मोहल्ला शहर सवाई माधोपु

.... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 22.12.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 13.10.2023 को 02.00 पी.एम. पर मैसर्स श्रीराम होटल, मण्डी रोड, आलनपुर सवाई माधोपुर पर पहुंचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की छायाप्रति पेश की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर होटल/संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को सब्जी बनाने में प्रयुक्त किये जा रहे में मिलावट का अंदेशा होने पर **Refined Soyabean Oil (Loose)** 01 लीटर वजनी खरीदकर उसकी कीमत 200/– रूपये विक्रेता विष्णु साहू को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान धारा सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विष्णु साहू ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विष्णु साहू को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 01 लीटर **Refined Soyabean Oil (Loose)** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Refined Soyabean Oil (Loose)** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाल कर बोतलों के ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर [illegible]ल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं **H-2841**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2841 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया था। एक नमूना मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/818 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/1762/एक्ट/203/1740 दिनांक 15.05.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Loose), Sub Standard** प्रकृति का होना पाया गया है।

खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत धारा 2.4.6(1) के तहत नमूनों की जांच से असन्तुष्ट होते हुए नियमानुसार नियत अवधि में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूनों की पुनः जांच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूनों के द्वितीय भाग को वास्ते जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब मैसूर की जांच सर्टि0 सं0 389F/FSSA/2024 दिनांक 2005.2024 **खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Loose), Sub Standard** होना पाया गया है।

अभिहित अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं प्रकरण में समय अवधि विस्तारित हेतु स्वीकृति जारी करने बाबत अनुशंषा आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण) को अपने पत्रांक 729 दिनांक 30.07.2024 द्वारा भिजवाई गई। जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण) ने मूल पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर तथा अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर इस निष्कर्ष के साथ कि उपरोक्त प्रकरण को न्यायालय [illegible] के लिए समय सीमा विस्तारित किया जाना जन हित में आवश्यक है। अतः आयुक्त (खाद्य [illegible] एवं औषधि नियन्त्रण) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 77 के [illegible] प्रयोग करते हुए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

जन हित में प्रकरण को न्यायालय हाजा में पेश करने की समय सीमा दिनांक 11.11.2024 तक विस्तारित किये जाने की अनुमति आदेश क्रमांक 2286 दिनांक 24.10.2024 द्वारा जारी की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1102 दिनांक 05.11.2024 के द्वारा उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा **Sub-Standard, Refined Soyabean Oil (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 स्वयं उपस्थित हुये अभियुक्त संख्या 2 द्वारा अपनी फर्म के लेटरहेड पर अभियुक्त संख्या 1 को नोमिनी नियुक्त किया। अभियुक्त ने प्रकरण में जबाब पेश किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-Standard, Refined Soyabean Oil (Loose)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने पेश किये गये जबाव को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की फर्म से **खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Loose)** का सेम्पल भरा गया था जो लेब रिपोर्ट में सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिस सोयाबीन तेल का सेम्पल लिया गया था वह सब्जियों में छोकन लगाने के काम आने वाला तेल है जोकि स्टील के डिब्बे में भरा हुआ था जिसे सब्जी में छोकन लगाते समय प्रार्थी के सब्जी बनाने वाला सब्जी में प्रयुक्त होने वाली चम्मच से ही तेल निकाल कर पेन में डालता है जिस कारण चम्मच में छोकन के पेन की खुरचन लग जाने तथा सब्जी बनाते समय उसी चम्मच को तेल में डालने से तेल में काला पदार्थ पाया गया है। तेल में कोई मिलावट नहीं है। तेल में छोकन की चम्मच नहीं डालने के लिए भविष्य के लिए पाबन्द कर दिया गया है। बहस के अन्त में अभियुक्त ने न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निरस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि रेफरल लेब मैसूर की जांच सर्टि० सं० 389F/FSSA/2024 दिनांक 2005.2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Loose)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा दौराने बहस गलती स्वीकार कर प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:47 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Loose)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 20,000/–रू0 (अक्षरे बीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **22.12.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:36:47 IST
Reason: SelfAttested